न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 68/25 वर्ष 2025

GCMS NO :—2025/272

बउनवानीः—सरकार जरिये प्रहलाद मीना, प्रवर्तन निरीक्षक सवाई माधोपुर

बनाम

1. श्री कृष्णावतार गर्ग उ0मू0दु0 वार्ड नम्बर—11बी नगर परिषद, सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र बाबत उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग की दुकान से जब्तशुद्व 6279.46 किलोग्राम गेहूँ के निस्तरण बाबत अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया)

उपस्थित :—1. श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार रसद

2. श्री हरीश भारद्वाज वकील अप्रार्थीगण

—: निर्णय :— दिनांक 25.3.2026

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 5.8.2025 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 28.5.2025 को दौराने जॉच उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग वार्ड संख्या 11 बी नगर परिषद सवाईमाधोपुर की दुकान से जब्तकर कब्जेराज लिये गये 6279.46 किलोग्राम गेहूॅ को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से दिनांक 5.8.2025 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर श्री रामभजन मीना द्वारा दिनांक 28.05.2025 को श्री कृष्णावतार गर्ग, उचित मूल्य दुकानदार (पीओएस मशीन नं. 9576) वार्ड नं. 11 बी, नगर परिषद सवाई माधोपुर की उचित मूल्य दुकान की जांच हेतु प्रातः 10.30 बजे मौके पर पहुँचने पर उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग स्वयं उपस्थित मिला तथा दुकान खुली पायी गयी। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार की पोस मशीन नं. 9576 की जांच करने पर पोस मशीन में गेहूं का ऑनलाईन स्टॉक 413.19 किलोग्राम दर्ज होना पाया गया। इसके अलावा माह जून 2025 के पेटे खाद्य एवं आपूर्ति निगम, सवाई माधोपुर की ओर से आपूर्ति किये गये गेहूं की मात्रा 2407.35 किलोग्राम के चालान की प्रति भी मौके पर प्रस्तुत की गई। इसकी चालान संख्या CHAW00015118045 है। इस प्रकार वक्त जांच डीलर की पोस मशीन में दर्ज गेहूं के ऑनलाईन स्टॉक (413.19 कि.ग्रा.) तथा माह जून 2025 के पेटे आपूर्ति में प्राप्त मात्रा (2407.35 किलोग्राम) के आधार पर कुल स्टॉक 2820.54 किलोग्राम होना चाहिए था। मौके पर उपलब्ध गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर कुल 182 कट्टे पाये गये। उक्त 182 कट्टों में 50 किलोग्राम प्रति कट्टा के हिसाब से कुल गेहूं 9100 किलोग्राम पाया गया। मौके पर दुकान में 107 कट्टे पाये गये जिनमें से 12 कट्टे जूट की पैकिंग में तथा 95 कट्टे प्लास्टिक की पैकिंग में पाये गये। मौके पर दुकान के भीतर बने गोदाम में कुल 75 कट्टे होना पाये गये जिनमें से 62 कट्टे जूट की पैकिंग में 13 कट्टे प्लास्टिक की पैकिंग में पाये गये। इस प्रकार श्री कृष्णावतार गर्ग की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड के अनुसार वांछित मात्रा से 6279.46 किलोग्राम अधिक होना पाया गया। मौके पर भण्डारित गेहूं के अधिक स्टॉक बाबत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा कोई संतोषजनक जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री कृष्णावतार गर्ग द्वारा कालाबाजारी की नीयत से गेहूं का अवैध भण्डारण करके राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3, 5 व 20 का तथा इसी आदेश के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 11, 17 (1) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत डीलर की दुकान/गोदाम में अवैध रूप से भण्डारित अधिक पाये गये गेहूं के स्टॉक 6279.46 किलोग्राम गेहूं को जब्त कर कब्जेराज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से निकटवर्ती अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री पवन कुमार जैन, वार्ड नं. 12, पीओएस मशीन नं. 9578 नगर परिषद सवाई माधोपुर को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री कृष्णावतार गर्ग उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त अनियमिततायें की जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। श्री कृष्णावतार गर्ग के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआई) संख्या 0170/2025 दिनांक 04.06.2025 को दर्ज करवा दी गई है। अतः श्री कृष्णावतार गर्ग की उचित मूल्य से जब्तशुदा 6279.46 किलोग्राम गेहूं का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अन्तरिम निस्तारण करते हुए प्रकरण मे जब्तसुदा गेहूँ को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश करने बाबत निवेदन किया गयां

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि प्रवर्तन अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी के मकान से जब्तशुदा गेहूं 6279.46 किलोग्राम गेहूं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत निस्तारण/राजसात करने बाबत श्रीमान् महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी वार्ड नम्बर 11बी, नगर परिषद, सवाई माधोपुर (राज.) की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 500/85 है एवं प्रार्थी को रसद सामग्री वितरण हेतु पोस मशीन संख्या 9576 आवंटित की गयी है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 28–05–2025 को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान पोस मशीन संख्या 9576 वार्ड नम्बर 11, नगर परिषद सवाई माधोपुर की जांच की गयी जिसमें भौतिक सत्यापन पर स्टॉक के अनुसार 2820.54 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध पाया गया लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जांच दल द्वारा गोदाम के पीछे स्थित कमरा जो कि प्रार्थी द्वारा राकेश गुर्जर निवासी छान को किराये पर दिया हुआ था, में मौजूद गेहूं के कट्टों को जो कि कृषक राकेश [redacted] बेचने के लिए लाया था जो मण्डी में उचित भाव नहीं आने के कारण राकेश गुर्जर द्वारा उक्त गेहूं के कट्टों को प्रार्थी के किरायेशुदा परिसर में रखा हुआ था एवं उक्त किरायेशुदा परिसर प्रार्थी की स्वीकृत उचित मूल्य दुकान से अलग था जिसके बाबत प्रार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण जांच दल को बता दिया गया था, बावजूद इसके जांच दल द्वारा उक्त किरायेशुदा परिसर में स्थित गेहूं को जबरन प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर जबरन प्रार्थी के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया जबकि प्रार्थी के गोदाम में वरवक्त निरीक्षण स्टॉक के अनुसार पूर्ण रसद सामग्री पायी गयी। कृषक राकेश गुर्जर निवासी छान द्वारा उक्त जब्तशुदा गेहूं को प्राप्त करने हेतु जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर को कई बार निवेदन किया लेकिन जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा कृषक राकेश गुर्जर को उक्त गेहूं सुपुर्द नहीं किया तत्पश्चात कृषक राकेश गुर्जर द्वारा उक्त जब्तशुदा गेहूं को दिलवाये जाने बाबत श्रीमान् जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष दिनांक 10–06–2025 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

(....2.....)

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

किया जिससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि उक्त जब्तशुदा गेहूं का प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान से कोई लेनादेना नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा गेहूं जो कि उचित मूल्य दुकान से अलग किरायेशुदा परिसर में जूट के कट्टों में था जो हाथ से सिले हुए थे जबकि प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान में राशन का गेहूं प्लास्टिक के कट्टों में मशीन से सिला हुआ उपलब्ध था जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जूट के कट्टों में उपलब्ध गेहूं प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं नहीं होकर कृषक राकेश गुर्जर निवासी छान के खुद काश्त का गेहूं था जिसको उक्त किसान सवाई माधोपुर मण्डी में बेचने के लिए लाया हुआ था जो उचित भाव नहीं मिलने के कारण उक्त किसान द्वारा प्रार्थी के मकान में किराये पर उक्त गेहूं को रखा हुआ था लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जांच दल द्वारा बिना किसी अधिकार के उचित मूल्य दुकान की स्वीकृत गोदाम के अलावा प्रार्थी के निजी मकान में जबरन घुसकर प्रार्थी द्वारा किराये पर दिये हुए कमरे में मौजूद गेहूं को बिना किसी उचित आधार के प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर प्रार्थी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा वक्त जांच उक्त बाबत जांच दल को अवगत करा दिया गया लेकिन जांच दल द्वारा प्रार्थी को धमका कर चुप करा दिया एवं प्रार्थी से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये गये। जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 11–06–2025 द्वारा प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थी की दुकान में 6279.46 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये जाने का आरोप अंकित किया गया जिसमें जवाब हेतु नियत दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थी द्वारा उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य सबूत के जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया कि वक्त निरीक्षण प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान में स्टॉक के अनुसार रसद सामग्री सही पायी गयी लेकिन निरीक्षण दल द्वारा प्रार्थी की दुकान के पीछे वाला कमरा जो कि उचित मूल्य दुकान के नक्शे में शामिल नहीं था जो कि उक्त कमरा राकेश गुर्जर निवासी छान द्वारा किराये पर लिया हुआ था, में मौजूद गेहूं के कट्टों को जो कि कृषक राकेश गुर्जर के स्वयं के खुद काश्त का गेहूं था, जो कृषक राकेश गुर्जर सवाई माधोपुर मण्डी में बेचने के लिये लाया था जो कि उक्त किरायेशुदा परिसर/कमरे में मौजूद गेहूं के कट्टों को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर प्रार्थी के ऊपर उक्त आरोप अंकित किया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं थी। किन्तु जांच दल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थी के निजी परिसर में स्थित कमरा जो कि प्रार्थी द्वारा कृषक राकेश कुमार गुर्जर को किराये पर दिया हुआ था, में रखे हुए गेहूं को जबरन प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का गेहूं माना जाकर प्रार्थी के ऊपर 6279.46 किलोग्राम गेहूं अधिक पाये जाने का आरोप अंकित किया जाकर उक्त गेहूं को जब्त किया गया है जो गलत है। रसद विभाग के अधिकारियों को उक्त मकान में न तो प्रवेश करने का अधिकार था ना ही उनके पास तलाशी लेने का अनुज्ञा पत्र था, कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अमजद अली बना पश्चिम बंगाल सरकार निर्णय दिनांक 20.11.2023 पेश किया एवं गैस सलेण्ड जब्त करने का अधिकार सब इन्सपेक्टर को नही है कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त अवतार सिंह बनाम पंजाब सरकार निर्णय दिनांक 23.3.2023, पेश किया एवं तीन भाईयों की सामलाती कृषि भूमि मे उत्पन्न हुए 40 बोरी गेहॅू को घर पर रखने का कृषक को अधिकार है कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकार बनाम सनसिहं निर्णय दिनांक 11.4.1986 पेश किया। क्योकि स्वंय राकेश गुर्जर द्वारा भी न्यायालय हाजा मे सुपुदर्गी प्रार्थना पत्र संख्या 56/2026 राकेश गुजर बनाम सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी पेश कर रखा है जिसमे भी श्रीमान द्वारा बहस सुनी जा चुकी है। अतः प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठें तथ्यो के आधार पवर प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जब्त गेहॅू को राकेश गुर्जर की सुपुर्दर्गी मे दिये जाने बाबत निवेदन किया गया।

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट उ0मू0 दुकानदार की पीओएस मशीन संख्या 9576 मे जॉच के दौरान 2820.54 किलोग्राम गेहूँ दर्ज था किन्तु दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 9100 किलोग्राम गेहूँ पाया गया जो पीओएस मशीन के स्टॉक से 6279.46 किलोग्राम गेहूँ अधिक था उक्त अधिक पाये गये गेहूँ के संबंध मे अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर निवासी छाण के खेत मे उत्पन्न हुए है जिनको राकेश गुर्जर मण्डी मे बैचने के लिए लेकर आया था किन्तु मण्डी मे भाव कम होने के कारण राकेश गुर्जर द्वारा अप्रार्थी के मकान मे कमरा किराये पर लेकर रखना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन में खसरा गिरदावरी या मकान का किरायानामा इत्यादि पेश नही किया गया है जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि उक्त गेहूँ राकेश गुर्जर के थे तथा उसने अप्रार्थी के मकान मे कमरा किराये पर लेकर रखा हो। जहाँ तक अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस कमांक 984 दिनांक 11.6.2025 की पालना में दिनांक 19.6.2025 को प्रस्तुत जवाब नोटिश की प्रति से हो जाती है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनो न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिसके आधार पर दर्ज स्टॉक से 6279.45 किलोग्राम गेहूँ अधिक पाये जाने बाबत लगाये गये अरोप निराधार साबित हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार के कथनानुसार अप्रार्थी पर लगाये गये आरोप बखूबी साबित होते है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी 6ऐ की कार्यवाही मे विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे जब्त किये गये 6279.45 किलोग्राम गेंहूँ को राजसात (Confiscate) किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है उक्त गेहूँ के अन्तरित निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner